रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 436] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 26, 1996/श्रावण 4, 1918
No. 436] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 26, 1996/SRAVANA 4, 1918

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1996

(आयकर)

का. आ. 541 (अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80ठ की उपधारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा देना बैंक द्वारा जारी किये गये 92,13,20,000 करोड़ रुपये (बयानवे करोड़, तेरह लाख और बीस हजार रुपये केवल) की कुल धनराशि के प्रत्येक 10,000 रु. के 1 से 92132 तक की विशिष्ट संख्या वाले 16% (कराधेय) प्रतिभूत मोचनीय असंपरिवर्तनीय बंधपत्रों को उक्त खंड के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट करती है ।

[अधिसूचना सं. 10158/फा. सं. 178/106/95-आयकर नि.-I]

एच. के. चौधरी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 1996

(INCOME TAX)

S.O. 541 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 80L of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the 16% (Taxable) Secured Redeemable Non-convertible Bonds bearing distinctive numbers from 1 to 92132 of Rs. 10,000 each aggregating to an amont of (Rupees ninety two crores thirteen lakhs and twenty thousand only) issued by Dena Bank for the purpose of said clause.

[Notification No. 10158/F. No. 178/106/95-ITA-I]

H. K. CHOUDHARY, Under Secy.

1853 GI/96 Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996